राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक : प0 5(1) साप्र 3/93 जयपुर, दिनांक– 12-3-2010

–:परिपत्र:–

प्रायः यह देखने में आया है कि भारत संचार निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में कतिपय कार्यालय/निवासीय टेलीफोन के विरूद्ध बकाया राशि शेष बताई जाती है। इससे राज्य सरकार पर न केवल सरचार्ज राशि का आर्थिक भार पडता है बल्कि भुगतान के अभाव में टेलीफोन कटने की आशंका रहती है। टेलीफोन कटने की स्थिति में रीकनेक्शन चार्जेज का भार भी उठाना पडता है।

अतः कृपया कार्यालय/निवासीय टेलीफोन के बिलों का भुगतान निर्धारित समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित किया जाये। यदि बिल निर्धारित तिथि तक अधिकारीगण को प्राप्त न हो तो संबंधित क्षेत्र के लेखाधिकारी (राजस्व) भारत संचार निगम लिमिटेड, जयपुर से यथासमय सम्पर्क स्थापित कर डुप्लीकेट बिल प्राप्त कर लेखाशाखा को भुगतान हेतु प्रेषित कर दिये जाए।

भविष्य में मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय को कार्यालय/निवास के टेलीफोन बिल को प्रेषित किये जाने वाले पत्र की प्रति टेलीफोन बिल की फोटो प्रति के साथ इस विभाग को सूचनार्थ पृष्ठांकित किये जानें की कृपया व्यवस्था करावें।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं। :–

1. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/उप सचिव एवं अन्य समकक्ष अधिकारीगण।
2. समस्त निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री और संसदीय सचिव

उप शासन सचिव